प्रतिलिपि आदेश दिनांक 19-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 3174-दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-8-12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर प्र0क्र0 202/निगरानी/अ-12/09-10.

रामस्वरूप पुत्र श्यामलाल पटेल
निवासी ग्राम बकतौरा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

1- गुपाली पुत्र पूरन पटेल
निवासी ग्राम बकतौरा तहसील गौरिहार
जिला छतरपुर म0प्र0
2- म0प्र0 शासन --- अनावेदकगण

(13)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 3174/ दो/2012

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

जिला छतरपुर

पक्षकारों एव अभिभाषकों हस्ताक्षर

19.8.14

यह निगरानी कलेक्टर जिला छतरपुर व्दारा प्र0 क0 20 अ 12/ 2009–10 निगरानी में पारित आदेश दि0 23–8–2012 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि ग्राम बकतौरा तहसील गौरिहार में आवेदक के स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 235/3 रकबा 1.60 हैक्टर है और इसी भूमि से अनावेदक क–1 की भूमि सर्वे नंबर 167/3 रकबा 0.809 हैक्टर लगी हुई है। अनावेदक ने तहसीलदार को इस भूमि के सीमांकन का आवेदन दिया, किन्तु राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने सरहदी कास्तकारों को अथवा आवेदक को कोई सूचना नहीं दी तथा अनावेदक से सॉठगॉठ करके गलत सीमांकन करते हुये आवेदक की भूमि की नप्ती अनावेदक को कर दी तथा तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक के एकपक्षीय प्रतिवेदन को आदेश दिनांक 10–3–10 से अंतिम कर दिया, जब कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी में इन तथ्यों को बताया गया, तब उन्होंने भी वास्तविक स्थिति न जानकर सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुये निगरानी निरस्त करने में भूल की है, इसलिये निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जॉय।

अनावेदक क–1 के अभिभाषक ने बताया कि राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने सीमांकन की सूचना सभी मेढ़िया कास्तकारों को दी है मौके पर पंचनामा बनाया है तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त की

है आवेदक को नीचे के न्यायालयों में अपनी बात कहने का मौका मिला है किन्तु वह नियमानुसार किये गये सीमांकन को गलत प्रमाणित नहीं कर सका है। इसलिये निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जावे।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को के कम में तहसीलदार गौरिहार के प्रकरण कमांक 9 अ 12/2009–10 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनावेदक क–1 ने तहसीलदार को निशानी अँगुष्ठ लगाकर आवेदन दिया है जिस पर दिनांक अंकित नहीं है और न ही आवेदन पर प्राप्ति/प्रस्तुतीकरण का मौसूदा एंव दिनांक अंकित नहीं है। तहसीलदार गौरिहार ने इस आवेदन को 28–6–08 को आर्डरशीट लिखकर प्रकरण दर्ज किया है तथा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन करना अंकित कर दिनांक 28–6–08 को पत्र जारी किया है। इस पत्र के ठीक एक वर्ष तीन माह से अधिक दिवस उपरांत राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 22–10–2009 प्रस्तुत की है, जबकि सीमांकन रिपोर्ट के संलग्न पंचनामा अनुसार सीमांकन 22–10–2009 को किया गया है। तहसीलदार के प्रकरण में सीमांकन रिपोर्ट के नीचे पंचनामा, पंचनामे के नीचे पृष्ठ 27 पर पटवारी व्दारा भूमि सर्वे नंबर 167/3 का सीमांकन दिनांक 22–10–2009 को किये जाने हेतु 5 कास्तकारों को दिनांक 20–10–2007 को जारी किया गया सूचना पत्र संलग्न है जिसमें आवेदक का नाम सरल कमांक 2 पर अंकित है किन्तु सीमांकन सूचना की कार्यालयीन प्रति पर इस पक्षकार के पावती के हस्ताक्षर नहीं है । ग्रामवासियों को सार्वजनिक सूचना हेतु सूचना पत्र की प्रति ग्राम के चौपाल पर चस्पा करने का उल्लेख नहीं है और न ही सूचना पत्र की प्रति ग्राम पंचायत को दी गई है। स्पष्ट है कि पटवारी ने आवेदक के मेढ़िया कास्तकार होते हुये भी व्यक्तिगत सूचना नहीं दी है, फिर भी कलेक्टर व्दारा आदेश दिनांक 23.8.12 में यह अर्थ निकालना कि, आवेदक को सीमांकन की सूचना दी गई है – वास्तविकता के विपरीत है।

5/ अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 167/3 के सीमांकन हेतु दिनांक

22–10–09 की तिथी नियत हुई, किन्तु पटवारी व्दारा सीमांकन करने की सूचना दिनांक 20.10.2009 को जारी की गई अर्थात ग्रामीणों को एंव मेढ़िया कास्तकारों को उपस्थित रहने की सूचना हेतु मात्र एक दिवस का समय दिया गया है जिसके कारण ग्रामीणों को , मेढ़िया कास्तकारों के सम्यक सूचना नहीं देना माना जावेगा और ऐसी कार्यवाही पर आधारित सीमांकन नियमानुकूल नहीं माना जा सकता।

6/ अनावेदक व्दारा तहसीलदार गौरिहार के समक्ष दिये गये सीमांकन आवेदन एंव तहसीलदार की आर्डरशीट दिनांक 28–6–08 में लिये गये अंतरिम निर्णय तथा वादोक्त भूमि के सीमांकन हेतु तहसीलदार व्दारा राजस्व निरीक्षक को जारी पत्र दिनांक 28–6–08 के अवलोकन पर पाया गया कि अनावेदक व्दारा की गई मांग एंव उस पर हुये सीमांकन निर्देश एंव राजस्व निरीक्षक व्दारा प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 22–10–2009 केवल सीमांकन कार्यवाही वावत् हैं, जबकि तहसीलदार गौरिहार ने आदेश दिनांक 10–3–2010 पारित कर निर्णय इस प्रकार दिया है :–

> '' उक्त विवेचना के आधार पर वाद भूमि का राजस्व निरीक्षक जुझारनगर व्दारा प्रस्तुत सीमांकन एंव तरमीम प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।''

जबकि न तो अनावेदक ने सीमांकन आवेदन में नक्शा तरमीम की मांग की है और न ही राजस्व निरीक्षक ने नक्शा तरमीम की कार्यवाही की है तथा उन्होंने नक्शा तरमीम के प्रस्ताव भी नहीं दिये हैं। स्पष्ट है कि तहसीलदार गौरिहार ने जानबूझकर वास्तविकता के विपरीत जाकर अनावेदक क–1 को अनुचित लाभ पहुंचाया है क्योंकि सीमांकन कार्यवाही संहिता की धारा 129 के अंतर्गत एंव नक्शा तरमीम की कार्यवाही अन्य धाराओं के अधीन की जाती है और इन तथ्यों पर कलेक्टर छतरपुर ने गौर न करने की त्रृटि की है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 20 अ 12/ 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 23–8–12

एंव तहसीलदार गौरिहार व्दारा प्र.क. 9/अ–12/09–10 में पारित आदेश दिनांक 10–3–10 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार गौरिहार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह वादोक्त भूमि का सीमांकन अधीक्षक/सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से कराकर अनावेदक व्दारा मूल आवेदन में की गई मांग अनुसार कार्यवाही कराकर हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, ग्वालियर